14

Form-I

(for linear Project)

Government of Uttarakhand

Office of the District Collector Bageshwar

No---Memo-3/2014 Dated---19.12.2014

To WHOMSOEVER IT MAY CONCERN

In Compliance of the Ministry of Environment and Forests (MoEF), Government of India's letter No- 11-9/ 98 FC(pt) dated 03 Aug, 2009 where in the MoEF issued guidelines on submission of evidences for having initiated and completed the process of settlement of rights under the Scheduled Tribes and Other Traditional Forest Dwellers (Recognition of Forest Rights) Act, 2006 ('FRA' for short) on the forest land proposed to be diverted for non-forest Purposes read with MoEF's letter dt. 5th Feb, 2013 wherein MoEF issued certain relaxation in respect of linear projects, it is certified that **1.747 hactares** of forest and proposed to be diverted in favour of **PUBLIC WORKS DEPARTMENT** for **Construction of Lohari talli-Silli-Band-Kansyari motor road** in **Bageshwar** district falls within jurisdiction of **Loharli, Silli, Band and Kansyari** Village in **Garur** Tehsil.

It is further certified that:-

(a) the complete process for identification and settlement of rights under the FRA has been carried out for the entire **1.747 hectares** of forest area proposed for diversion. A copy of records of all consultations and meetings of the Forest Rights Committee(s), Gram Sabha(s), Sub-Division Level Committee(s) and the District Level Committee are enclosed as annexure 23 to annexure 23.3 (**Not applicable as there are no habitats belonging to scheduled tribes and other traditional forest Dwellers.)**

(b) the diversion of forest land for facilities managed by the Government as required under section 3(2) of the FRA I have completed and the Gram Sabha have given their consent to it;------ (**Not applicable as there are no habitats belonging to scheduled tribes and other traditional forest Dwellers. No objection certificate of concerned villages regarding construction of aforesaid motor road is affixed in the forest file.)**

(c) the proposal does not involve recognized rights of Primitive Tribal Groups and Pre-agricultural communities. **Certificate prescribed in form 23-4 attached**.

Enclose – as above

Signature

Dated 19.12.2014

(Bhupal Singh Manral,)

District Collector

Seal

(Full name and official seal of the District Collector)

प्रपत्र–23

परियोजना का नामः–राज्य योजना के अन्तर्गत जनपद बागेश्वर में लोहारी तल्ली सिल्ली–बन्ड–कनस्यारी मोटर मार्ग निर्माण में प्रभावित होने वाली वन भूमि का लो.नि.वि. को हस्तान्तरण किये जाने हेतु।

वन अधिकार अधिनियम, 2006 के अन्तर्गत अनापत्ति प्रमाण पत्र

ग्राम पंचायत का नाम ......मटेना......
तहसील गरूड़ जिला बागेश्वर

अनापत्ति प्रमाण पत्र

जिला बागेश्वर उत्तराखण्ड में लोहारी तल्ली–सिल्ली–बन्ड–कनस्यारी मोटर मार्ग (परियोजना) के निर्माण हेतु (0.00 है0 आरक्षित वन भूमि, 1.747 है0 सिविल सोयम भूमि, 0.00 है0 वन पंचायत भूमि) अर्थात कुल 1.747 है0 वन भूमि का लोक निर्माण विभाग विभाग / संस्था के पक्ष में भारत सरकार, पर्यावरण एव वन मंत्रालय द्वारा प्रत्यावर्तित करने हेतु आवेदन प्रस्तुत किया गया।

उक्त प्रकरण के विषय में ग्राम पंचायत ......मटेना......द्वारा दिनांक ..14..12..2014 को सम्पन्न ग्राम सभा/ग्राम पंचायत की बैठक में प्रयोक्ता एजेन्सी द्वारा आवेदित वन भूमि के सम्बन्ध में अनापत्ति प्रमाण पत्र निर्गत करने हेतु विस्तृत चर्चा की गई। यह कि वन अधिकार अधिनियम 2006 के प्राविधानों के तहत आवेदित वन भूमि में आदिवासी अथवा किसी गैर आदिवासी का कब्जा/कृषि कार्य है अथवा नही। * उपस्थित सभी ग्रामवासियों द्वारा स्पष्ट किया गया कि उक्त वनभूमि में किसी भी आदिवासी अथवा गैर आदिवासी का कब्जा/कृषि कार्य नही किया जा रहा है। इसके अतिरिक्त परियोजना के निर्माण हेतु आवेदित वन भूमि पर ग्रामवासियों के परम्परागत अधिकारों का हनन नही हो रहा है।

चर्चा के उपरान्त ग्राम सभा द्वारा सर्वसम्पति से निर्णय लिया गया/प्रस्ताव पारित किया गया कि ग्राम ......मटेना......के ग्रामवासियों को उक्त वन भूमि लोक निर्माण विभाग (प्रयोक्ता एजेन्सी) को परियोजना के निर्माण हेतु दिये जाने पर कोई आपत्ति नही है।

प्रमाणित किया जो सत्य एवं सही है

ह0/ [signature] 14/12/15
ग्राम सचिव
ग्राम पंचायत विकास अधिकारी, ग्राम पंचायत मटेना, वि0ख0-गरुड़ (बागेश्वर) उत्तराखण्ड

ह0/ [signature]
ग्राम प्रधान
प्रधान, ग्राम पंचायत मटेना, वि0ख0 गरूड़ (बागेश्वर)

नोटः– * यदि किसी आदिवासी अथवा वनवासी की निजी भूमि प्रभावित हो रही है तो तद्नुसार उसका विवरा उवत प्रपत्र में दिया जाय। उक्त प्रपत्र उप जिलाधिकारी की अध्यक्षता में गठित समिति द्वारा प्राप्त कर प्रयोक्ता एजेन्सी कोउपलब्ध कराया जायेगा।

प्रपत्र–23.1

दिनाक 14.12.2014 को ग्राम सभा की सम्पन्न बैठक की उपस्थिति

ग्राम पंचायत मटेना

क्र0 सं0	ग्राम सभा में उपस्थित वरिष्ठ ग्रामवासियों के नाम	हस्ताक्षर
	[illegible]	
	मदन मोहन	दीपा खोलिया
	राधा जोशी	राधा खोलिया
	Shakti	
	[illegible]	[illegible]
	[illegible]	जानकी देवी
	शकुन्तला देवी प्रधान ग्राम पंचायत मटेना वि0ख0 गरूड़ (बागेश्वर)	[illegible]
	[illegible]	सावित्री
	बसन्ती देवी प्रधान ग्राम पंचायत जिनखोला वि.ख. गरूड़, जनपद – बागेश्वर	मोहन [illegible]
		[illegible] जोशी
		प्रेमा जोशी
		[illegible]
		विनोद कुमार
	अध्यक्ष [illegible] नव युवक मगल दल जिनखोला	[illegible]
		[illegible]

[illegible]

[illegible] रमेश चन्द्र बड़सील

[illegible]

रमेश चन्द्र [illegible]

[illegible]

[illegible]

प्रपत्र–23

परियोजना का नामः–राज्य योजना के अन्तर्गत जनपद बागेश्वर में लोहारी तल्ली सिल्ली–बन्ड–कनस्यारी मोटर मार्ग निर्माण में प्रभावित होने वाली वन भूमि का लो.नि.वि. को हस्तान्तरण किये जाने हेतु।

वन अधिकार अधिनियम, 2006 के अन्तर्गत अनापत्ति प्रमाण पत्र

ग्राम पंचायत का नाम सिल्ली लोहारी तल्ली
तहसील गरुड़ जिला बागेश्वर

अनापत्ति प्रमाण पत्र

जिला बागेश्वर उत्तराखण्ड में लोहारी तल्ली–सिल्ली–बन्ड–कनस्यारी मोटर मार्ग (परियोजना) के निर्माण हेतु (0.00 है0 आरक्षित वन भूमि, 1.747 है0 सिविल सोयम भूमि, 0.00 है0 वन पंचायत भूमि) अर्थात कुल 1.747 है0 वन भूमि का लोक निर्माण विभाग विभाग / संस्था के पक्ष में भारत सरकार, पर्यावरण एव वन मंत्रालय द्वारा प्रत्यावर्तित करने हेतु आवेदन प्रस्तुत किया गया।

उक्त प्रकरण के विषय में ग्राम पंचायत सिल्ली द्वारा दिनांक 5/12/15 को सम्पन्न ग्राम सभा/ग्राम पंचायत की बैठक में प्रयोक्ता एजेन्सी द्वारा आवेदित वन भूमि के सम्बन्ध में अनापत्ति प्रमाण पत्र निर्गत करने हेतु विस्तृत चर्चा की गई। यह कि वन अधिकार अधिनियम 2006 के प्राविधानों के तहत आवेदित वन भूमि में आदिवासी अथवा किसी गैर आदिवासी का कब्जा/कृषि कार्य है अथवा नही। * उपस्थित सभी ग्रामवासियों द्वारा स्पष्ट किया गया कि उक्त वनभूमि में किसी भी आदिवासी अथवा गैर आदिवासी का कब्जा/कृषि कार्य नही किया जा रहा है। इसके अतिरिक्त परियोजना के निर्माण हेतु आवेदित वन भूमि पर ग्रामवासियों के परम्परागत अधिकारों का हनन नही हो रहा है।

चर्चा के उपरान्त ग्राम सभा द्वारा सर्वसम्पति से निर्णय लिया गया/प्रस्ताव पारित किया गया कि ग्राम सिल्ली/लोहारी के ग्रामवासियों को उक्त वन भूमि लोक निर्माण विभाग (प्रयोक्ता एजेन्सी) को परियोजना के निर्माण हेतु दिये जाने पर कोई आपत्ति नही है।

प्रमाणित किया जो सत्य एवं सही है

ह0 / [signature]	ह0 / सीमा पाण्डे
ग्राम सचिव ग्राम पंचायत विकास अधिकारी, ग्राम पंचायत सिल्ली, वि0ख0–गरुड़ (बागेश्वर)	ग्राम प्रधान प्रधान ग्राम पंचायत सिल्ली वि0ख0–गरुड़, जिला–बागेश्वर

नोटः– * यदि किसी आदिवासी अथवा अनिवासी की निजी भूमि प्रभावित हो रही है तो तद्नुसार उसका विवरा उक्त प्रपत्र में दिया जाय। उक्त प्रपत्र उप जिलाधिकारी की अध्यक्षता में गठित समिति द्वारा प्राप्त कर प्रयोक्ता एजेन्सी कोउपलब्ध कराया जायेगा।

प्रपत्र–23.1

दिनाक....5/12/15......को ग्राम सभा की सम्पन्न बैठक की उपस्थिति

ग्राम पंचायत ...सिल्ली...

क्र0 सं0	ग्राम सभा में उपस्थित वरिष्ठ ग्रामवासियों के नाम	हस्ताक्षर
1.	गणेश चन्द्र पाण्डेय - अध्यक्ष यु० म० दल सिल्ली	Ganesh
2.	रघुवीर सिंह नेगी,	[illegible]
(3)	[illegible]	[illegible]
(4)	नवीन चन्द्र रवोलिया	Navin
5-	ललितमोहन जोशी	[illegible]
6	दयाल गिरी	[illegible]
7	गिरीश चन्द्र जोशी पूर्व प्रधान	[illegible]
8-	गिरीश चन्द्र	[illegible]
	कैलाश चंद्र जोशी (वार्ड नं०)	[illegible]
9	[illegible]	[illegible]
10	कैलाश चन्द्र	[illegible]
11	[illegible] चन्द्र रवोलिया	[illegible]
(12)	नवीन चन्द्र रवोलिया	[illegible]
(13)	महेश चन्द्र पाण्डे	[illegible]
	मोहन जाला राम	मोहनराम
	मुकेश नेगी - पूर्व क्षे० पंचायत सदस्य	[illegible] 22/1/15
	नवीन देवराडी . वार्ड मे (उपप्रधान)	Navin

राजेन्द्र प्रसाद रवोलिया   [illegible]

गंगादत्त [illegible]

सीमा पाण्डेय

प्रधान

गंगादत्त [illegible]

ग्राम पंचायत सिल्ली

वि0ख0-गरुड़, जिला-बागेश्वर

प्रपत्र–23

परियोजना का नामः–राज्य योजना के अन्तर्गत जनपद बागेश्वर में लोहारी तल्ली सिल्ली–बन्ड–कनस्यारी मोटर मार्ग निर्माण में प्रभावित होने वाली वन भूमि का लो.नि.वि. को हस्तान्तरण किये जाने हेतु।

वन अधिकार अधिनियम, 2006 के अन्तर्गत अनापत्ति प्रमाण पत्र

ग्राम पंचायत का नाम ....बण्ड, कनस्यारी
तहसील गरूड़ जिला बागेश्वर

अनापत्ति प्रमाण पत्र

जिला बागेश्वर उत्तराखण्ड में लोहारी तल्ली–सिल्ली–बन्ड–कनस्यारी मोटर मार्ग (परियोजना) के निर्माण हेतु (0.00 है0 आरक्षित वन भूमि, 1.747 है0 सिविल सोयम भूमि, 0.00 है0 वन पंचायत भूमि) अर्थात कुल 1.747 है0 वन भूमि का लोक निर्माण विभाग विभाग / संस्था के पक्ष में भारत सरकार, पर्यावरण एव वन मंत्रालय द्वारा प्रत्यावर्तित करने हेतु आवेदन प्रस्तुत किया गया।

उक्त प्रकरण के विषय में ग्राम पंचायत ....बण्ड.......द्वारा दिनांक 16-12-14 को सम्पन्न ग्राम सभा / ग्राम पंचायत की बैठक में प्रयोक्ता एजेन्सी द्वारा आवेदित वन भूमि के सम्बन्ध में अनापत्ति प्रमाण पत्र निर्गत करने हेतु विस्तृत चर्चा की गई। यह कि वन अधिकार अधिनियम 2006 के प्राविधानों के तहत् आवेदित वन भूमि में आदिवासी अथवा किसी गैर आदिवासी का कब्जा / कृषि कार्य है अथवा नहीं। * उपस्थित सभी ग्रामवासियों द्वारा स्पष्ट किया गया कि उक्त वनभूमि में किसी भी आदिवासी अथवा गैर आदिवासी का कब्जा / कृषि कार्य नही किया जा रहा है। इसके अतिरिक्त परियोजना के निर्माण हेतु आवेदित वन भूमि पर ग्रामवासियों के परम्परागत अधिकारों का हनन नही हो रहा है।

चर्चा के उपरान्त ग्राम सभा द्वारा सर्वसम्पति से निर्णय लिया गया / प्रस्ताव पारित किया गया कि ग्राम ....बण्ड व कनस्यारी......के ग्रामवासियों को उक्त वन भूमि लोक निर्माण विभाग- (प्रयोक्ता एजेन्सी) को परियोजना के निर्माण हेतु दिये जाने पर कोई आपत्ति नही है।

प्रमाणित किया जो सत्य एवं सही है

ह0 /	ह0 /
ग्राम सचिव	ग्राम प्रधान
ग्राम पंचायत विकास अधिकारी, ग्राम पंचायत.....बण्ड....., वि0ख0–गरूड़ (बागेश्वर) उत्तराखण्ड	प्रधान, ग्राम पंचायत बण्ड पो0–गागरीगोल, वि0ख0 गरूड़, जिला – बागेश्वर

नोटः– * यदि किसी आदिवासी अथवा वनवासी की निजी भूमि प्रभावित हो रही है तो तदनुसार उसका विवरा उक्त प्रपत्र में दिया जाय। उक्त प्रपत्र उप जिलाधिकारी की अध्यक्षता में गठित समिति द्वारा प्राप्त कर प्रयोक्ता एजेन्सी कोउपलब्ध कराया जायेगा।

प्रपत्र–23.1

दिनाक 16-12-2014 को ग्राम सभा की सम्पन्न बैठक की उपस्थिति

ग्राम पंचायत बण्ड

क्र0 सं0	ग्राम सभा में उपस्थित वरिष्ठ ग्रामवासियों के नाम	हस्ताक्षर
1	धनीराम आर्य S/. श्री बचीराम	[signature]
2-	आनन्दसिंह S/o श्री दिवान सिंह	[signature]
3.	शंकरसिंह S. श्री बचीसिंह	Shanky
4.	महेन्द्र सिंह S/o श्री कमलसिंह	महेन्द्रसिंह
5	नैनसिंह S/o श्री कमलसिंह	नैनसिंह
6.	राम सिंह S/ श्री गोगासिंह	रामसिंह
7.	किशन सिंह S/ श्री हयातसिंह	किशन सिंह
8.	देवसिंह S/o श्री गोपालसिंह	देवसिंह
9-	शिवसिंह S/ प्रेमसिंह	[signature]
10.	पूरनसिंह S/o हयातसिंह	पूरनसिंह
11-	रामसिंह S/o श्री अमरसिंह	रामसिंह
12-	मोहन सिंह S/ रामसिंह	मोहन सिंह
13.	हीराराम S/ धनीराम	हीराराम
14-	धनीराम S/ बचीराम	धनीराम
15-	चनीराम S/ मनीराम	चनीराम
16-	पूरन राम S/o अम्बाराम	पूरन राम
17-	दिवान राम S/ श्री बचीराम	दिवानराम
18.	तिलोकसिंह S/ श्री मदनसिंह	तिलोकसिंह
19	महेन्द्र राम S/ श्री बचीराम	महेन्द्र राम
20.	शंकर दत्त S/ परमानन्द	शंकर दत्त जोशी
21	शिव राम S/. मदनराम	शिवराम
22	तेज सिंह जोशी S/. लक्ष्मणसिंह	[signature]
23	केशरसिंह S/. नरसिंह	केशरसिंह

प्रपत्र–23.2

परियोजना का नामः–राज्य योजना के अन्तर्गत जनपद बागेश्वर में लोहारी तल्ली सिल्ली–बन्ड–कनस्यारी मोटर मार्ग निर्माण में प्रभावित होने वाली वन भूमि का लो.नि.वि. को हस्तान्तरण किये जाने हेतु।

कार्यालय उप जिलाधिकारी गरूड.

अनुसूचित जनजाति और परम्परागत वनवासी अधिनियम 2006 के तहत् प्रमाण पत्र

उपखण्ड स्तरीय समिति– गरूड़

उपखण्ड गरूड़ परिक्षेत्र के अन्तर्गत लोहारी तल्ली–सिल्ली–बन्ड–कनस्यारी मोटर मार्ग (परियोजना) के निर्माण हेतु (0.000 है0 आरक्षित वनभूमि, 1.747 है0, सिविल सोयम वन भूमि, 0.00 है0, वन पंचायत भूमि (अर्थात कुल 1.747 है0 वन भूमि) लोक निर्माण विभाग (प्रयोक्ता एजेन्सी) के पक्ष में हस्तान्तरित किये जाने हेतु अनुसूचित जनजाति और अन्य परम्परागत वनवासी (वन अधिकारों की मान्यता) अधिनियम 2006 अन्तर्गत उपखण्ड स्तरीय समिति, तहसील गरूड़ की दिनांक 19-12-2014........को सम्पन्न बैठक की कार्यवाही का विवरण।

अनुसूचित जनजाति और अन्य परम्परागत वन निवासी (वन अधिकारों की मान्यता अधिनियम 2006 एवं नियम 2008 के अन्तर्गत उपखण्ड स्तरीय वन अधिकार समति की बैठक श्री सी0एस0डोभाल, उपजिलाधिकारी एवं अध्यक्ष उपखण्ड स्तरीय वन अधिकार समिति, गरूड़ की अध्यक्षता में आयोजित की गयी। बैठक में माननीय सदस्यों की उपस्थिति निम्नानुसार है।

1–	श्री सी0एस0डोभाल	उपजिलाधिकारी	अध्यक्ष
2–	श्री एस0एन0 त्रिपाठी	उप प्रभागीय वनाधिकारी	सदस्य
3–	श्री खड़क सिंह रावत	सहायक समाज कल्याण अधिकारी	सदस्य / सचिव
4–	श्री धनी राम	बी0डी0सी0 क्षेत्र कनस्यारी	सदस्य

उपखण्ड सचिव द्वारा माननीय सदस्यों का बैठक में स्वागत करते हुए उप जिलाधिकारी की अनुमति से बैठक की कार्यवाही प्रारम्भ की गई। माननीय सदस्यों को अवगत कराया गया कि लोहारी तल्ली–सिल्ली–बन्ड–कनस्यारी मोटर मार्ग (परियोजना) के निर्माण हेतु 1.747 है0 भूमि लोक निर्माण विभाग (प्रयोक्ता एजेन्सी) के पक्ष में हस्तान्तरित किये जाने हेतु प्रस्ताव माननीय सदस्यों के समक्ष रखा गया। ग्राम सभा के अन्तर्गत वनाधिकार का कोई मामला लम्बित नही है। भूमि का सम्बन्धित ग्राम सभा द्वारा सर्वसम्मति से पारित प्रस्ताव के आधार पर सार्वजनिक उपयोग हेतु प्रत्यावर्तन की अनुशंसा की गई है।

सम्बन्धित उप प्रभागीय वनाधिकारी वन प्रभाग बागेश्वर द्वारा अनुसूचित जनजाति एवं परम्परागत वन निवासी (वन अधिकारों की मान्यता) अधिनियम 2006 एवं तत्सम्बन्धी नियम 2 के प्राविधानों को स्पष्ट करते हुए जानकारी से माननीय सदस्यों को अवगत कराया कि अधिनियम 2006 के अन्तर्गत किसी भी दावेदार का दावा / आवेदन पत्र प्रस्तुत नही किया है। इस सम्बन्ध में ग्राम सभा / पंचायत द्वारा अनापत्ति जारी की जा चुकी है। अतः प्रकरण उपखण्ड स्तरीय वन अधिकार समिति द्वारा अनापत्ति जारी की जा सकती है।

बैठक में सर्वसम्मति से उपखंड गरूड परिक्षेत्र के अन्तर्गत लोहारी तल्ली–सिल्ली–बन्ड–कनस्यारी मोटर मार्ग (परियोजना) के निर्माण हेतु 1.747 है0 वन भूमि लोक निर्माण विभाग (प्रयोक्ता एजेन्सी) को जनहित में सक्षम प्राधिकारी से अनुमति प्राप्त कर प्रत्यावर्तित किये जाने पर सहमति व्यक्त की गयी।

दि0 19.12.2014

उप जिलाधिकारी/अध्यक्ष
उपखण्ड स्तरीय वन अधिकार समिति
तहसील गरूड़
जनपद बागेश्वर

प्रतिलिपि, जिलाधिकारी, बागेश्वर को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।

उप जिलाधिकारी/अध्यक्ष
उपखण्ड स्तरीय वन अधिकार समिति
तहसील गरूड़
जनपद बागेश्वर

प्रपत्र–23.3

जिला स्तरीय वन अधिकार समिति जनपद बागेश्वर

अनुसूचित जनजाति और परम्परागत वनवासी अधिनियम 2006 के तहत् प्रस्ताव

1–	जिलाधिकारी, बागेश्वर	अध्यक्ष
2–	प्रभागीय वनाधिकारी, बागेश्वर	सदस्य
3–	जिला पंचायत सदस्य	सदस्य
4–	जिला समाज कल्याण अधिकारी	सदस्य / सचिव

आज दिनांक 19-12-14 को जिलास्तरीय वनाधिकार समिति की बैठक जिलाधिकारी महोदय, बागेश्वर की अध्यक्षता में आहूत की गयी।

उपखण्ड स्तरीय वनाधिकार समिति गरूड़ के प्रमाण पत्र दिनांक 19.12.2014 द्वारा लोहारी तल्ली–सिल्ली–बन्ड–कनस्यारी मोटर मार्ग के लिए 1.747 है0 भूमि आवंटन हेतु अनापत्ति प्रस्तुत किये जाने हेतु प्रकरण प्रस्तुत किया गया। उपखण्ड स्तरीय वनाधिकार समिति द्वारा लोहारी तल्ली–सिल्ली–बन्ड–कनस्यारी मोटर मार्ग के लिए वनभूमि परिवर्तित किये जाने को प्रस्ताव प्राप्त हुआ।

जिलास्तरीय वनाधिकार समिति जनपद बागेश्वर द्वारा उपखण्ड स्तरीय वनाधिकार समिति गरूड़ के उक्त प्रस्ताव पर विचार विमर्ष किया गया। वनभूमि के स्वरूप को परिवर्तन कर लोहारी तल्ली–सिल्ली–बन्ड–कनस्यारी मोटर मार्ग के लिए 1.747 है0 उपलब्ध कराये जाने का निर्णय लिया गया है तथा लोहारी तल्ली–सिल्ली–बन्ड–कनस्यारी मोटर मार्ग के लिए 1.747 है0 भूमि को लोक निर्माण विभाग को प्रत्यावर्तन किये जाने हेतु अनापत्ति दी गई। वन अधिकार अधिनियम 2006 के तहत् व संलग्न प्रमाण पत्रों के अनुसार परियोजना के निर्माण में किसी अनुसूचित जनजाति व वनवासी की भूमि अधिग्रहित नही हो रही है। परियोजना के निर्माण से प्रभावित होने वाली वनभूमि में कोई भी दावा लम्बित नही है।

जिला समाज कल्याण अधिकारी बागेश्वर	प्रभागीय वनाधिकारी बागेश्वर	जिलाधिकारी बागेश्वर

प्रपत्र–23.3

परियोजना का नामः–राज्य योजना के अन्तर्गत जनपद बागेश्वर में लोहारी तल्ली सिल्ली–बन्ड–कनस्यारी मोटर मार्ग निर्माण में प्रभावित होने वाली वन भूमि का लो.नि.वि. को हस्तान्तरण किये जाने हेतु।

जिलाधिकारी द्वारा प्रदत्त प्रमाण–पत्र

जनपद बागेश्वर के अन्तर्गत वनभूमि पर प्रस्तावित लोहारी तल्ली–सिल्ली–बन्ड कनस्यारी मोटर मार्ग (परियोजना) के निर्माण हेतु 1.747 है0 वन भूमि लोक निर्माण विभाग (प्रयोक्ता एजेन्सी) को प्रत्यावर्तित किये जाने हेतु उप जिलाधिकारी / अध्यक्ष उपखण्ड स्तरीय वन अधिकार समिति गरूड़ तथा सम्बन्धित ग्राम सभाओं द्वारा प्रदत्त अनापत्ति प्रमाण पत्र निर्गत किये गये है। वन अधिकार अधिनियम 2006 के तहत व संलग्न प्रमाण पत्रों के अनुसार परियोजना के निर्माण में किसी अनुसूचित जनजाति व वनवासी की भूमि अधिगृहित नही हो रही है। परियोजना के निर्माण से प्रभावित होने वाली वन भूमि में कोई भी दावा लम्बित नही है।

दिनांक 19-12-2014

(भूपाल सिंह मनराल)
जिलाधिकारी
बागेश्वर
मुहर

नोटः– उक्त प्रपत्र उप जिलाधिकारी की अध्यक्षता में गठित समिति द्वारा प्राप्त कर प्रायोक्ता ऐजेन्सी को उपलब्ध करया जायेगा।

सड़क निर्माण, नहर निर्माण, पारेषण लाईन, ओ.एफ.सी. केबिल, पाईप लाईन बिछाने आदि प्रयोजनों को भारत सरकार द्वारा वन अधिकार अधिनियम 2006 के प्राविधानों से मुक्त कर दिया गया है। उक्त प्रकरणों में प्रमाण पत्र संख्या 23, 23.1, 23.2 व 23.3 प्रस्ताव के साथ संलग्न नहीं किये जाने है। उक्त प्रयोजनों हेतु तैयार किये गये वनभूमि हस्तान्तरण प्रस्तावों के साथ जिला अधिकारी द्वारा प्रमाण पत्र संख्या 23.4 संलग्न किया जायेगा।

प्रपत्र–23.4

परियोजना का नामः– राज्य योजना के अन्तर्गत जनपद बागेश्वर में लोहारी तल्ली सिल्ली बन्ड कनस्यारी मोटर मार्ग निर्माण में प्रभावित होने वाली वन भूमि का लोक निर्माण विभाग को हस्तान्तरण किये जाने हेतु।

जिलाधिकारी द्वारा प्रदत्त प्रमाण–पत्र

जनपद बागेश्वर के अन्तर्गत प्रस्तावित लोहारी तल्ली–सिल्ली–बन्ड–कनस्यारी मोटर मार्ग (परियोजना) के निर्माण हेतु 1.747 है0 वन भूमि लोक निर्माण विभाग (प्रयोक्ता एजेन्सी) को प्रत्यावर्तित किये जाने हेतु प्रस्ताव प्रस्तुत किया गया है। भारत सरकार, पर्यावरण एवं वन मन्त्रालय, नई दिल्ली के पत्र संख्या 11–9/ 98–एफ0सी0 दिनांक 05.02.2013 के द्वारा रेखाकार (Linear) प्रयोजनों यथा सड़क, नहर, पारेषण लाईन, ओ.एफ.सी. केबिल व पाईप लाईन बिछाने आदि के प्रकरणों को वन अधिकार अधिनियम 2006 के प्राविधानों से मुक्त किया गया है। विषयगत परियोजना के निर्माण हेतु आवेदित वन व कृषि भूमि पर आदिकालीन जनजाति समूह (Primitive Tribal Groups) व आदिकालीन कृषि समुदाय (Pre Agricultural Tribal Groups) प्रभावित नहीं हो रहे है।

दिनांक 19.12.2014

(भूपाल सिंह मनराल)
जिलाधिकारी
बागेश्वर
मुहर